

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 391/2025

श्री धन सिंह, अरिहन्त कालोनी, पुरोहितों की मादरी रोड नं० 3, मादरी औद्योगिक क्षेत्र, पिन कोड 313001, मो०न०  
9929606871

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

### आदेश

दिनांक 06.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 391/2025 पर दिनांक 16.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/4285-86 दिनांक 16.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025/1204 दिनांक 03.10.2025 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री धन सिंह, अरिहन्त कालोनी, पुरोहितों की मादरी रोड नं० 3, मादरी औद्योगिक क्षेत्र, पिन कोड 313001, मो०न० 9929606871 का आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय /सू०अ०/2025/309 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू ने अपने पत्र क्रमांक 156 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया है कि आप द्वारा आवेदन में निर्णय दिनांक का अंकन नहीं किया है जिससे आपका आवेदन अधूरा है। आवेदन अधूरा होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू द्वारा पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025/1204 दिनांक 03.10.2025 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री धन सिंह, अरिहन्त कालोनी, पुरोहितों की मादरी रोड नं० 3, मादरी औद्योगिक क्षेत्र, पिन कोड 313001, मो०न० 9929606871 का आवेदन पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय /सू०अ०/2025/309 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू ने अपने पत्र क्रमांक 156 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया है कि आप द्वारा आवेदन में निर्णय दिनांक का अंकन नहीं किया है जिससे आपका आवेदन अधूरा है। आवेदन अधूरा होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा अधूरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके कारण उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ० अरुण गर्ग )

जिला कलक्टर, झुंझुनू  
जिला कलक्टर झुंझुनू